झारखण्ड विधान-सभा

झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2019

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

"झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2019"

[सभा द्वारा यथापारित]

भारतीय गणराज्य के 70वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ-

1.1 यह अधिनियम "झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2019" कहा जायेगा।

1.2 इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

1.3 यह राजकीय गजट/ई-गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगा।

2. झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड अधिनियम, 2000 के अध्याय-5 की धारा-24 उपधारा-(3)(ख) को निम्नवत् संशोधित किया जाता है:-

"बोर्ड द्वारा पचास हजार रूपये से अधिक परन्तु दस करोड़ रूपये से अधिक खर्च की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना न दी जायेगी।"

3. अध्याय-6 की धारा-28 उपधारा-(1)(ज) के पश्चात् (झ) निम्नवत् अन्तःस्थापित किया जाता है:-

"जन-निजी-भागीदारी के आधार पर संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) के माध्यम से निर्माण के प्रयोजनार्थ नगर विकास एवं आवास विभाग, जैसा आवश्यक समझे, तकनीकी एवं वितीय मानकों का निर्धारण कर सकेगा।"

यह विधेयक झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2019 दिनांक 06 फरवरी, 2019 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 06 फरवरी, 2019 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(दिनेश उराँव)
अध्यक्ष

झा०रा०मु०, राँची (एल०ए०) 131(A)--50--20-02-2019 ।